प्रेषक,

अधीक्षण अभियन्ता
तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य
आगरा

प्रेषित,

सूचना निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
(विज्ञापन प्रभाग), उत्तर प्रदेश
सूचना भवन, पार्क रोड, लखनऊ

पत्रांक /3/टी–3 दिनाँकः

विषय : अल्पकालीन निविदा सूचना का प्रकाशन।

महोदय,

अल्पकालीन निविदा सूचना सं0 06/एस0ई0/2019–2020 आपको 6 प्रतियों में सी0डी0 सहित इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इस निविदा सूचना का प्रकाशन दिल्ली तथा उसके आस–पास सबसे अधिक बिकने वाले हिन्दी के दो प्रमुख समाचार पत्रों में केवल एक–एक बार तीन दिन के अन्तराल से प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

आपके पत्रांक 82/सू0 एवं ज0सं0वि0(विज्ञा)–924/2014 दिनांक 17.03.2015 के द्वारा वांछित दूरभाष नं0 कार्यालय 011–29940803एवं ई–मेल आई0डी hwkokhla@gmail.com है । कृपया प्रकाशन संबंधी सूचना इन्हीं दूरभाष नम्बर व ई–मेल आई0डी0 पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

भवनिष्ठ,

अधीक्षण अभियन्ता
तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य
आगरा

पत्रांक /3/टी–3/ दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधीक्षण अभियन्ता, कम्पयूटर सैन्टर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग उ0 प्र0, लखनऊ को संलग्न निविदा सी0डी0 सहित ।
2. मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, ओखला नई दिल्ली।
3. जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर
4. जिला सूचना अधिकारी, जनपद गौतमबुद्धनगर।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गौतमबुद्धनगर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया दिनांक 23.09.2019 को निविदा खोलने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होने का कष्ट करें ।
7. अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला/अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा/लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा/सिंचाई निर्माण खण्ड, मथुरा/ताज बैराज निर्माण खण्ड आगरा।
8. कार्यालय सूचनापट।

संलग्नक उपरोक्तानुसार

अधीक्षण अभियन्ता
तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य
आगरा

From,

Superintendeing Engineer
IIIrd Circle Irrigation Worka
Agra.

To,

The Director of Information,
Department of Information & Public Relation,
(C) Department, U.P.
Lucknow.

NO. /SE/ Dated

Sub- Publication of Tender Notice No 06/ SE /2019-2020

Dear Sir,

Kindly find enclosed here with the subject Tender Enquiries with the request to get published in following Hindi dailies as mentioned below.

Sl. No.	Name of News papers	Place/Places of publication	No. Insertions	Dates
1.	Navbharat Times	Delhi	01	
2.	Umar Ujala	Delhi	01	

Your's Faithfully

Superintending Engineer
3rd Circle Irrigation Works
Agra

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता

तृतीय मण्डल, सिंचाई कार्य, आगरा

<u>अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या– 06 / एस0ई0 / 2019–2020</u>

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु ऑनलाइन निविदायें (https://etender.up.nic.in) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 21.09.2019 को अपरान्ह 4.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा की प्री–क्वालिफिकेशन / टेक्निकल बिड अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड, आगरा नहर, ओखला के कार्यालय कक्ष में गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 23.09.2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजे खोली जायेगी। प्री–क्वालिफिकेशन / टेक्निकल बिड में क्वालिफाइड पाये गये ठेकेदारों की ही फाइनेन्शियल बिड खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में यह निविदायें अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी। निविदा दिनांक 15.09.2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दिनांक 21.09.2019 को अपरान्ह 4.00 बजे तक डाउनलोड / अपलोड की जा सकती है। कार्यो का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रुपये में)	पंजीकरण श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	कैनाल कालोनी ओखला के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त वाल्मी फील्ड हॉस्टल की पुनर्स्थापना (Restoration) का कार्य ।	113.00	3.42	06 माह	1500.00+ 18%GST	“ए” एवं उच्चतर
2.	दिल्ली क्षेत्र के अन्तर्गत ओखला बैराज के अपस्ट्रीम में यमुना नदी पर दॉयें एफलक्स बन्ध के किनारे कैनाल कालोनी ओखला से कालिन्दी कुंज पार्क तक आर0सी0सी0 दीवार का निर्माण।	105.00	2.10	05 माह	1000.00+ 18%GST	“ए” एवं उच्चतर

विस्तृत निविदा सूचना का विवरण एवं नियम व शर्तें उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइड (http//:upgovt.up.nic/infotech) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट (http//:www.idup.gov.in) पर उपलब्ध है।

नियम व शर्ते :–

1. ज्वाइन्ट वेन्चर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. सशर्त निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।
3. निविदा को पूर्ण एवं आशिंक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
4. इच्छुक निविदादाता निविदा सम्बन्धी सभी शर्तों और नियमों की जानकारी किसी भी कार्यदिवस में अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, सिंचाई कार्य, 139, प्रतापपुरा, आगरा एवं अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला, नई दिल्ली–25 के कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं।
5. समस्त इच्छुक निविदादाताओं को सुझाव दिया जाता है कि निविदा डालने से पूर्व समस्त विभागीय नियमों व शर्तो का संज्ञान लेते हुए कार्यस्थल का निरीक्षण कर कार्यस्थिति एवं परिस्थिति से भलीभॉति भिज्ञ हो लें।

6. निविदादाता को ऑन लाइन निविदा में निम्नलिखित प्रमाण पत्र तथा अन्य डॉक्यूमेंट की स्कैण्ड प्रति अपलोड करनी होगी । डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय अनावश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड न किये जाये। ऐसा करने पर यदि किसी कारणवश आवश्यक डॉक्यूमेंट का संज्ञान न हो पाने के कारण बिड Unresponsive हो जाती है, तो इसके लिये निविदादाता उत्तरदायी होगा। सफल निविदादाता को निविदा प्रपत्रों की हार्ड कॉपी के साथ इन सभी अपलोड किये जाये प्रपत्रों, डॉक्यूमेंट्स आदि को मूलरूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा कराने होंगें, अन्यथा उनकी निविदा को Unresponsive मानते हुए शासनादेश संख्या 52/1439/17–27–सिं–3–07 विविध/17 दिनांक 09.10.2017 के अनुसार विधिक कार्यवाही की जायेगीः–

(i) निविदा शुल्क एवं जी0एस0टी0 का पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट/बैंक ट्रान्जेक्शन नम्बर सहित अपलोड करना अनिवार्य होगा ।

(ii) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश की निर्धारित श्रेणी का पंजीकरण प्रमाण पत्र ।

(iii) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1)। पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में सभी पार्टनरों का जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(iv) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2) । पार्टनरशिप फर्म द्वारा फर्म के नाम निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र एवं प्रोपराइटर फर्म द्वारा प्रोपराइटर के नाम का हैसियत प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जायेगी।

(v) निविदा के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर स्वघोषणा पत्र (IDT-3) जो कि रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर स्वयं के पासपोर्ट साइज फोटो सहित नोटरी द्वारा सत्यापित हो, जिसपर कार्य का नाम पूर्णरूप से टंकित हो, को पूर्णरूप से भरकर ही अपलोड करना होगा, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

(vi) निविदादाता को श्रमिक कार्यालय में पंजीकरण के वैद्य प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति अपलोड करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

(vii) निविदादाता को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पत्रांक 12–02–01–सी0टी0ई0–6, दिनांक 17.12.2002 के अनुसार विगत 07 वित्तीय वर्षो में सफलता पूर्वक सम्पादित किये गये कार्यों के सम्बन्ध में निम्न विवरणानुसार अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो राजकीय विभाग के न्यूनतम अधिशासी अभियन्ता या समकक्ष स्तर से विधिवत् निर्गत किया गया हो अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(क) समान प्रकृति के पूर्ण किये गये तीन कार्यों जिसमें प्रत्येक की लागत निविदा कार्य के 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

अथवा

(ख) समान प्रकृति के पूर्ण किये गये दो कार्यों जिसमें प्रत्येक की लागत निविदा कार्य के 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

अथवा

(ग) समान प्रकृति के पूर्ण किये गये एक कार्य जिसमें प्रत्येक की लागत निविदा कार्य के 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

लाट नं0–1–समान प्रकृति के कार्य का आशय– भवन निर्माण/मरम्मत / पुनर्स्थापना का कार्य।

लाट नं0–2 समान प्रकृति के कार्य का आशय– आर0सी0सी0 का कार्य।

गत वर्षो के कार्य की लागत प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत सामान्य वृद्धि के आधार पर आंकलित की जायेगी।

(viii) विगत तीन वर्षो में से किसी एक वित्तीय वर्ष के वार्षिक टर्न ओवर की चार्टड एकाउण्टेण्ट द्वारा प्रमाणित प्रति, जो कार्य लागत के समतुल्य हो अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(ix) विगत तीन वर्षो में से किसी एक वर्ष की बैलेन्स शीट समस्त संलग्नकों सहित अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकती है।

(x) आयकर पैन–कार्ड एवं विगत तीन वित्तीय वर्षो के आयकर रिर्टन की मूल प्रतियॉ की स्कैन्ड कापी अपलोड करनी अनिवार्य होगी।

(xi) धरोहर धनराशि की एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0/ टी0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य प्रतिभूति के रूप में, जो अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड, आगरा नहर, ओखला, नई दिल्ली–25 के पक्ष में बन्धक हो तथा भारतीय स्टेट

बैंक सैक्टर–2 नोएडा में देय हो, ट्रान्जैक्शन नम्बर के साथ अपलोड करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा निविदा अमान्य की जा सकती है।

(xii) निविदादाता को जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(xiii) निविदादाता द्वारा रू0 100.00 का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र के रूप में यह प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि वह मशीनों द्वारा कार्य कराये जाने में सक्षम है एवं वह अपने खुद की अथवा किराये पर ली गई मशीनों द्वारा कार्य ससमय कराएगा।

(xiv) निविदादाता को रू0 100.00 के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर निविदा सूचना संख्या एवं कार्य का नाम अंकित कर अनुबन्ध लिखना होगा कि उसके द्वारा निविदत्त दरें 90 दिवस तक मान्य होगी। 90 दिवस से पूर्व निविदा/ऑफर वापिस लेने पर धरोहर धनराशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

7. कोषागार से सत्यापित स्टाम्प पेपर ही मान्य होंगें।
8. अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा करनी होगी।
9. निविदत्त लागत की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0/ टी0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में, जो अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड, आगरा नहर, ओखला, नई दिल्ली–25 के पक्ष में बन्धक हो, अनुबन्ध के समय जमा करना अनिवार्य होगा।
10. शासनादेश संख्या 52/1439/17–27–सिं–3–07विविध/17, दिनांक 09.10.2017 तथा शासनादेश संख्या 3070/78–2–2018–42आई0टी0/2017(22) दिनांक 03.01.2018 के क्रम में ई–टेण्डरिंग के समय निविदादाता को निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों की स्कैन कॉपी (छायाप्रति की स्कैन कॉपी नहीं) व निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ई0एम0डी0) सम्बन्धी डिमाण्ड ड्रॉफ्ट्स/पे आर्डर की स्कैन प्रति अथवा प्रतिभूति प्रमाण पत्र विभाग के पक्ष में बन्धक कराने पर प्राप्त ट्रान्जैक्शन नम्बर को निविदा के समय अपलोड करना होगा तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने, अर्थात निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त सफल निविदादाता को मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगें। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ई0एम0डी0) सम्बन्धी डिमाण्ड ड्राफ्ट्स/पे–आर्डर/प्रतिभूति प्रमाण पत्र मूलरूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के साथ–साथ पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी। अनुबन्ध गठित करते समय यदि ठेकेदार द्वारा धरोहर धनराशि एवं अनबैलेन्स बिड सिक्योरिटी के रूप में बैंक गारन्टी दी जाती है और कार्य निर्धारित समय से पूर्ण न कर पाने की दशा में समयवृद्धि लेता है तो अनबैलेन्स बिड सिक्योरिटी की बैंक गारन्टी की अवधि भी समयवृद्धि के अनुसार अन्तिम बीजक के भुगतान तक स्वयं संबंधित बैंक से बढवानी होगी एवं धरोहर धनराशि की बैंक गारन्टी कार्यपूर्ण की तिथि से अगले छः माह तक स्वयं संबंधित बैंक से बढवानी होगी। ऐसा न करने पर समतुल्य धनराशि निविदादाता से बकाये राजस्व की भॉति वसूल कर ली जायेगी।
11. उपरांकित सभी कार्य विभागीय तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित करने होंगें।
12. चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व स्वघोषणा प्रमाण पत्र के फर्जी व गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त की जायेगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार के नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
13. निविदादाता को निविदा प्रपत्र भलीभॉति पढ़कर प्रपत्रों में अंकित निर्धारित स्थानों पर हस्ताक्षर मुहर सहित, जिसमें नाम, संस्था का नाम एवं पूर्ण पता हो, हस्ताक्षर करने होंगें। हस्ताक्षर न होने पर निविदा अमान्य की जा सकती है। निविदादाता को अपना वहाट्सएप नम्बर एवं ई–मेल पता देना अनिवार्य होगा। व्हाट्सएप या ई मेल द्वारा दी गई सूचना को भी निविदादाता को प्राप्त हुआ माना जायेगा।
14. निविदादाता द्वारा निविदा डालने की प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी न होने अथवा अन्य कारण से शर्तो को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पडने पर विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
15. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता से वांछित समस्त आवश्यक प्रपत्र/अभिलेख ठीक हैं अथवा नहीं। इसमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक पाये जाने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गई निविदा को Unresponsive माना जायेगा।
16. निविदा खोले जाने के समय केवल वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को ही कार्यालय परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।

17. Technical evaluation will be done by tender committee, comparative chart would be prepared and award of contract will be availale as per financial sanction for the work.
18. Technical evaluation के उपरान्त सफल एवं असफल निविदादाताओं की सूची वेबसाइट पर अपलोड करने के उपरान्त (जिसकी तिथि/समय ई टेन्डर वेबसाइट पर उपलब्ध होगी) तीन दिवस बाद फाइनेन्शियल बिड खोली जायेगी। यदि किसी निविदादाता को अपनी निविदा के संबंध में कोई आपत्ति होती है तो वह तकनीकी बिड/सूची अपलोड करने के तीन दिवस के अन्दर अपनी निविदा के बारे में आपत्ति प्रकट कर सकते है। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
19. निविदादाता द्वारा कम दरें डाले जाने की स्थिति में शासनादेश संख्याः 622/23–12–2012–2 ऑडिट/08 टी0सी0–2, दि0 08.06.12 के अनुसार अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी।
20. वेबसाइट पर ड्राइंग उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय से ड्राइंग आदि देखी जा सकती है।
21. निविदादाता को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटिड लखनऊ में ई–टेण्डरिंग वैद्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए जिसे निविदा के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकती है।
22. कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा किसी भी मात्रा तक घटाई अथवा बढाई जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
23. प्रस्तावित कार्यस्थल पर Engineer-in-Charge के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
24. उपरांकित सभी कार्य सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित करने होंगें।
25. ठेकेदार के बीजकों से नियमानुसार आयकर, रायल्टी, लेबर सैस इत्यादि प्रचलित टैक्स की कटौती की जायेगी।
26. निविदादाता द्वारा निविदा में दी गयी दरें जी0एस0टी0 रहित (Excluding Cost of G.S.T.) ही मान्य होंगी। जी0एस0टी0 नियमानुसार पृथक से देय होगी।
27. टी0ए0सी0/ऑडिट अथवा अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा निर्धारित वसूली सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।
28. उक्त कार्यों का सम्पादन विभागीय विशिष्टियों तथा शासनादेश संख्या–99/2017/836/17–27–सिं–46(डब्लू)/12 दिनांक 12.05.2017 के अनुरूप ही किया जाना अनिवार्य होगा।
29. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
30. यदि कोई भी निविदादाता विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता की न्यूनतम दर की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
31. कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
32. राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगें।
33. अपरिहार्य परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि या समय में यदि कोई परिवर्ततन होता है तो उसकी सूचना उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
34. शासनादेश संख्या 2136(1)/15–17–सिं–9 दिनांक 17.08.2015 के अनुसार ठेकेदार को अनुबन्ध गठन से पूर्व इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलेट नहीं किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
35. निविदादाता, जिनका सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट सम्बन्धी (प्रथम रक्त सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी खण्डीय लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत हो अथवा अधीक्षण अभियन्ता स्तर से अवर अभियन्ता स्तर तक, दोनों को सम्मिलित करते हुए) कार्यदायी खण्ड/मण्डल में कार्यरत होगा, वह निविदा डालने के लिये योग्य नहीं होगा। निविदादाता द्वारा इस आशय का

शपथ पत्र भी दिया जायेगा, जिसमें उनके उन सम्बन्धियों के नाम तथा पदनाम का उल्लेख होगा, जो कि कार्यदायी खण्ड एवं उससे सम्बन्धित मण्डल में कार्यरत हों।

36. ई–निविदा की विस्तृत शर्ते निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी एवं शासन के नियमानुसार लागू होगी।
37. अपलोड किये गये सभी मूल अभिलेखों की स्कैन कापी स्पष्ट व पठनीय होनी चाहिए, क्योंकि अभिलेखों की जॉच हेतु डाउनलोड/प्रिन्ट की जानी है। डाउनलोडिड अभिलेखों के प्रिन्ट पठनीय न होने पर निविदादाता की टेक्निकल बिड डिसक्वालिफाइड कर दी जायेगी।
38. निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाली सभी निर्माण सामग्री का मात्रा का एम0एम0–11 फार्म बीजक भुगतान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, एम0एम0–11 फार्म उपलब्ध न कराये जाने की दशा में रायल्टी एवं खनिज मूल्य की कटौती नियमानुसार बीजक से कर ली जायेगी।
39. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात् भी यदि यह तथ्य किसी भी माध्यम या कार्यवाही के दौरान संज्ञान में आता है कि नियम व शर्तों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन किया गया है या कोई फर्जी दस्तावेज/ प्रतिभूति धनराशि पत्र विभाग को अनुबन्ध हेतु दिया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित पर निरस्त किया जायेगा एवं ठेकेदार **द्वारा** कराये गये कार्य को श्रमदान घोषित कर ठेकेदार के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
40. यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार कार्य प्राप्त करने के लिये कार्य की अनुमानित लागत से अत्यन्त कम दरें दे दी जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी को यह आशंका हो कि ठेकेदार द्वारा साभिप्राय कम दरें दी जा रही हैं और इस प्रकार गुणवत्ता के साथ मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह निविदादाता से कम दरें देने का विस्तृत विवरण मांगें। ऐसे मांगे गये दर विश्लेषण को दो दिवस के अन्दर देना होगा। यदि आशंका की पुष्टि हो जाती है कि निविदादाता द्वारा साभिप्राय ऐसा किया जा रहा है तो गुण–दोष (Merit) के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निविदा निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त की जा सकती है।
41. अनुबन्धित कार्य के सापेक्ष धन उपलब्धता की सीमा तक ही कार्य कराये जाने का प्रतिबन्ध भी लगाया जा सकता है। विलम्ब से धन उपलब्ध/प्राप्त न होने की स्थिति में फर्म/एजेन्सी का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
42. कोई राजपत्रित अभियन्ता एवं अथवा राजपत्रित अधिकारी, जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासकीय विभाग में कार्यरत हो, सेवा निवृत्ति के उपरान्त दो वर्ष तक बिना सरकार की अनुमति के ठेकेदारी के काम के लिये प्रतिबन्धित होंगें। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/ कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सकरार से अनुमति नहीं ली है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथपत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
43. कार्यस्थल के निकट अवस्थित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों की संरचनाओं की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा। सभी संरचनाओं की सुरक्षा हेतु Engineer-in-charge के निर्देश मानने के लिये ठेकेदार बाध्य होगा, अन्यथा की स्थिति में क्षतिपूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
44. बिड डाक्यूमेंट्स के साथ संलग्न होने वाले प्रपत्रों/रिकॉड्स को अपलोड करने के साथ ही इनका विवरण निर्धारित चैक लिस्ट के साथ भरना अनिवार्य है। यदि निविदादाता द्वारा चैक लिस्ट में पूर्ण विवरण नहीं भरा जाता है और इस कारण से उसकी निविदा असफल हो जाती है या कोई अन्य विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है तो इसके लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। इस सम्बन्ध में कोई वाद मान्य नहीं होगा।

<u>निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ</u>

Sr. No.	Particulars	Date	Time
1	Notification	04.09.2019	
2	Uploading/Downloading Start	15.09.2019	11.00AM
3	Uploading/Downloading End	21.09.2019	4.00PM
4	Technical Bid Opening	23-09-2019	11.00AM
5	Financial Bid Opening	Date and Place to be decided after technical bid evalution and will be communicated on-line to successful bidders in technical bid.	

अधीक्षण अभियन्ता,
तृतीय मण्डल, सिंचाई कार्य,
आगरा